उत्तराखण्ड सरकार

निबन्धन प्रमाण पत्र

(उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया।)

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड हॉर्टीकल्चर को-ऑपरेटिव फैडरेशन लि0, देहरादून (HORTIFED) को सहकारी संघ के रूप में निबन्धित करने के लिए **श्री जगत सिंह** तथा अन्य द्वारा उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 5, 2003 की धारा–6 के अधीन दिया गया प्रार्थना–पत्र स्वीकृत किया गया है, और उक्त संघ (निबन्धन के लिए प्रार्थना–पत्र के साथ प्रेषित उपविधियों सहित) उक्त अधिनियम के अधीन, उक्त प्रार्थना–पत्र में उल्लिखित शर्तो और उक्त अधिनियम, तदन्तर्गत बनी नियमावली और किये गये सामान्य या विशेष आदेशों तथा उक्त संघ की उपविधियों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उत्तराखण्ड राज्य की **संख्या यू0–14** के रूप में निबन्धित की गयी ।

अपर निबन्धक
सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड

दिनांक : 18.08.2020

उप निबन्धक सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड

कार्यालय आदेश सं०-4151-56 दि०-29/07/25 के द्वारा उपविधि के नियम संख्या-01, 05, 04 एवं 32 मे संशोधन को निबंधित किया गया

(आलोक कुमार पाण्डेय)
निबन्धक
सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड
देहरादून।

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड हॉर्टीकल्चर को–ऑपरेटिव फैडरेशन लि0, देहरादून (HORTIFED) निबन्धन सं. ...पृ.0.....14 जनपद देहरादून.... की आदर्श उपविधियों का निबन्धन दिनांक 18.08.2020 को किया गया।

आदर्श उपविधियाँ

उत्तराखण्ड हॉर्टीकल्चर को–ऑपरेटिव फैडरेशन लि0, देहरादून (HORTIFED)

1–नाम तथा पता:–इस फेडरेशन का नाम– उत्तराखण्ड हॉर्टीकल्चर को–ऑपरेटिव फैडरेशन लि0. देहरादून (HORTIFED) होगा और इसका मुख्यालय कार्यालय निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, देहरादून में होगा।

2. कार्यक्षेत्र:–इस फेडरेशन का कार्यक्षेत्र –सम्पूर्ण उत्तराखण्ड की सीमा तक सीमित रहेंगे ।

उपनिबन्धक
सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड

3. परिभाषाएं :–

जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इन उपविधियों में–

1. फेडरेशन का तात्पर्य उत्तराखण्ड हॉर्टीकल्चर को–ऑपरेटिव फैडरेशन लि0, देहरादून (HORTIFED) **देहरादून** से है।
2. 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 से है।
3. 'नियमावली' का तार्त्पय उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली 2004 से है ।
4. 'नियम' का तात्पर्य सहकारी समिति अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों से है ।
5. उपविधियों' का तात्पर्य इस सहकारी फेडरेशन की उपविधियों से है जो सहकारी समिति अधिनियम 2003 के अधीन बनायी गयी है।
6. निबन्धक का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन उत्तराखण्ड हॉर्टीकल्चर को–ऑपरेटिव फैडरेशन लि0, देहरादून (HORTIFED) निबन्धक के रूप मे तत्समय नियुक्त व्यक्ति तथा इसके उक्त धारा के अधीन नियुक्त ऐसा व्यक्ति भी जो निबन्धक द्वारा प्रदत्त सभी या किन्ही अधीकारो का प्रयोग करने से है।
7. 'कमेटी' का तात्पर्य फेडरेशन की प्रबन्धन कमेटी से है।
8. 'राज्य सरकार' का तात्पर्य उत्तराखण्ड सरकार से है।
9. सदस्य का तात्पर्य, जब तक कि विषय अथवा प्रसंग से कोई भिन्न अर्थ न निकले, साधारण सदस्य से है।
10. परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी एवं आश्रित/नाबालिग सन्तान से होगा।
11. संचालक मण्डल से तात्पर्य फेडरेशन के संचालक मण्डल से है जिसे अधिनियम की धारा–29 के अन्तर्गत के प्रबन्धन का कार्य सौंपा गया है।
12. मख्य प्रवर्तक से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो उत्तराखण्ड हॉर्टीकल्चर को–ऑपरेटिव फैडरेशन लि0, देहरादून (HORTIFED) के गठन में मुख्य भूमिका का निर्वाह करे।
13. प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी से तात्पर्य संघ के प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी से है, जिसकी नियुक्ति अधिनियम, नियमो, एवं उपविधियों के अर्न्तगत हुई हो।
14. सचिव से तात्पर्य संघ के सचिव से है, जिसकी नियुक्ति अधिनियम, नियमो, एवं उपविधियों के अर्न्तगत हुई हो।
15. सहकारी बैंक से तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 से है जिसकी फेडरेशन सदस्य हो।
16. अधिनियम में परिभाषित शब्द और पद जिनका उपयोग इन उपविधियों में किया गया है का जब तक प्रसंग द्वारा अन्य अपेक्षित न हो वही अर्थ होगा जो अधिनियम और नियमों में निर्दिष्ट है।
17. स्वाधिकृत पूँजी (निजी पूँजी) का तात्पर्य फेडरेशन की संचित हानियों को यदि कोई हो, निकाल देने के पश्चात निम्नलिखित मदों के योग से है–

    1– दत्त अंशपूँजी

    2– संचित रक्षित राशि

    3– अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (1) के खंड (ख) में उल्लिखित सहकारी शिक्षा निधि को छोडकर संघ के लाभ से सृजित अन्य निधियों और सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों से स्थानित निधियों तथा रिजर्ब्स से है।
18. अधिकतम दायित्व का तात्पर्य उस अधिकतम राशि से है जो फेडरेशन उधार ले सकता है। उसके अन्तर्गत अंशपूँजी सम्मिलित नहीं होगी।

सचिव अध्यक्ष
उत्तराखण्ड सेब उत्पादक एवं विपणन
सहकारी संघ लि.

Scanned with OKEN Scanner

4. उद्देश्य :–

संघ के निम्नलिखित मुख्य तथा गौंण उद्देश्य होंगे :–

(अ.) मुख्य उद्देश्य :

1. जिला सेब उत्पादन एवं विपणन व प्रसंस्करण सहकारी समितियों व अन्य व्यक्तिगत सेब उत्पादको से से सेब व अन्य फलों को उचित मूल्य पर क्रय करना, उनकी पैकेजिंग करना, भण्डारण एवं विपणन की व्यवस्था करना, तथा वितरण हेतु उचित व्यवस्था करना।
2. कोल्ड स्टोरेज एवं भण्डारण हेतु गोदाम आदि की व्यवस्था करना।
3. उत्पादित सेब के विपणन हेतु बाजार की व्यवस्था करना।
4. राज्य सरकार से समय–समय पर फल उत्पादन की जरूरत के समान के लिए दरों में छूट अनुदान/अनुग्रह राशि प्राप्त करना।
5. फल उत्पादन के मूल्य संवर्द्धन हेतु प्रदेश के अन्तर्गत समस्त फल उत्पादन सहकारी समिति सदस्यों एवं व्यक्तिगत सदस्यों को उत्पादन वृद्धि हेतु प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना
6. राज्यभर में फल उत्पादक संघ की मार्केटिंग व्यवस्था उपलब्ध कराना तथा मार्केटिंग एजेन्सी स्थापित करना।
7. फल का उत्पादन करना तथा इस निमित्त समिति सदस्यों के लिये उसकी भूमि पर आधुनिक तकनीक से उच्च प्रजाति के फलो के बगीचे तैयार करना या कराना।
8. सेब व अन्य फलों के उत्पादन हेतु समय–समय पर प्रदेश भर के कृषकों में जागरूकता प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कराना।
9. प्रदेश में फल उत्पादन करने वाली समितियों एवं व्यक्तिगत उत्पादकों को आर्थिक रूप से सुदृढ करना एवं नये रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना।
10. संयुक्त सहकारी खेती की संकल्पना के आधार पर ग्रामीण कृषकों की भूमि को लीज पर लेकर अथवा कृषकों के साथ अनुबन्ध निष्पादित कर सेब के वृहद कलस्टर बनाना।
11. सेब उत्पादन के मूल्य सम्वर्धन हेतु ~~(वैल्यू एडिशन)~~ (Value Addition) प्रसंस्करण इकाई की स्थापना करना तथा इनका तकनीकी रुप से विकास करना।
12. सेब के बगीचे में सेब के साथ उक्त जलवायी वाले अन्य फलों को उत्पादन एवं विपणन करना।
13. सेब के बगीचों में मौन पालन कार्य से अतिरिक्त आय अर्जित करना।
14. सेब की अन्य देशों की उन्नत प्रजाति का आयात कर उत्पादन कर मूल्य समर्थन करना।
15. सेब के उपोत्पाद जैसे सेब की चटनी, सेब का गूदा, सेब का मुरब्बा, चीनी साइड्रिक, सेब साईडर, सेब का जूस, सेब के सुखाये हुये छल्ले, इत्यादि उत्पादन हेतु प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित करना एवं उनके विपणन हेतु बाजार की व्यवस्था करना।
16. सेब उत्पादन एवं विपणन संघ राज्य सरकार एवं सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं से ऋण अंशधन एवं अनुदान प्राप्त कर अपने समिति सदस्यों एवं अन्य व्यक्तिगत सदस्यों को सेव उत्पादन एवं विपणन प्रसंस्करण के लिये सिमीत लाभ प्राप्त कर धनराशि उपलब्ध करायेगा।
17. सेब उत्पादन एवं विपणन संघ द्वारा निबन्धक एवं राज्य सरकार की अनुज्ञा से संयुक्त उद्यम के अन्तर्गत किसी व्यक्ति, संस्था, निगम एवं सहकारिताओं के साथ भी व्यवसाय कर सकता है।
18. कृषक समाज के आर्थिक विकास के लिए फलोत्पादन (सेब, आम, अमरूद, खुबानी, लीची, माल्टा आदि), फूलोत्पादन (समस्त प्रकार के भारतीय एवं विदेशी फूल), सब्जी (मौसमी/बेमौसमी) उत्पादो के उत्पादन, क्रय–विक्रय, प्रसंस्करण और विपणन का कार्य करना एवं बढ़ावा देने वाली गतिविधियों को कार्यान्वित करना।

सचिव
उत्तराखण्ड सेब उत्पादक एवं विपणन सहकारी संघ लि. देहरादून

अध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner

19. ऐसी संश्रित गतिविधियों का विकास एवं विस्तार जो फलोत्पादन, फूलोत्पादन, सब्जी प्रसंस्करण उद्योग, कृषियोग्य भूमि के सुधार एवं संरक्षण तथा उत्पादन में लगे हुए लोगों की आर्थिक बेहतरी के लिए सहायक हों।

20. इसके सदस्यों के हितों को प्रभावित किये बगैर, सदस्यों से या अन्य स्त्रोतों से जिन्सों की खरीद, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, निर्माण, वितरण और इसका विक्रय कर सकेगा।

21. फलोत्पादन, फूलोत्पादन, सब्जियों तथा संश्रित उत्पादों के उत्पादन, खरीद और विपणन से जुड़े पारस्परिक हितों की समस्या का अध्ययन कर सकेगा।

22. व्यवसाय को कार्यान्वित करने के लिए इमारतें, संयंत्र, मशीनों और अन्य सहायक उपकरण खरीद और या खड़ा कर सकेगा।

23. शोध एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएँ स्थापित कर सकेगा।

24. सदस्य संघों को कृषि उत्पादन, निवेश, कीटनाशक तथा विस्तार सेवाएँ, सुविधाएँ उपलब्ध करा सकेगा और पौम्प संरक्षण गतिविधियों की जिम्मेदारी लेने के लिए जिससे कि सब्जियों की उत्पादकता बढ़ सके, ऐसा करने में सदस्य संघों की मदद कर सकेगा।

25. फल–फूल, सब्जी उत्पादों और जिन्सों के परिवहन के लिए जरूरी इन्तजाम कर सकेगा।

26. प्रबंधन, पर्यवेक्षण तथा अंकेक्षण कार्यो के सभी पहलुओं में सदस्य सहकारी सब्जी संघो को परामर्शित, मार्गदर्शित, सहायता और नियंत्रित कर सकेगा।

27. कच्चा माल, प्रसंस्करण सामग्री आदि की खरीद या खरीद में मदद कर सकेगा या जरूरत पड़ने पर किसी के साथ सहयोग करने में मदद कर सकेगा।

28. सहकारी विकास हस्तक्षेप तथा सदस्य शिक्षण कार्यक्रम सहित सभी सदस्य संघों एवं सोसाइटियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कर सकेंगे।

29. फैडरेशन के कार्यो को निष्पादित करने के लिए और फैडरेशन के कार्यो की यदि जरूरत न हो तो उसे निस्तारित करने के लिए चल या अचल संपत्तियों का स्वामित्व रख सकेगा या लीज प्राप्त सकेगा या किराये पर ले सकेगा।

30. अपने उत्पादों का अपने स्वयं के ट्रेडमार्क/ब्रांड नाम के अधीन या अपने सदस्य संघों के ट्रेडमार्क/ब्रांड नाम के साथ विपणन कर सकेगा।

31. पैदावार पश्चात गतिविधियों तथा उत्पादों के विपणन को विस्तारित करने या बढ़ावा देने के लिए आवश्यक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति/अभिकरण के साथ सांविदिक संबंध स्थापित कर सकेगा।

32. प्राथमिक, औद्यानिक, फलोत्पादन, सब्जी उत्पादन, सगन्धपुष्पोत्पादन एवं विपणन समितियों के संगठन को बढ़ावा दे सकेगा और समितियों के संगठन के सदस्यों की मदद कर सकेगा।

Scanned with OKEN Scanner

33. फैडरेशन तथा इसके सदस्य संघों की खरीद एवं उत्पाद की मात्रा में वृद्धि करने और इसके प्रभावी विपणन के लिए विकासात्मक रणनीतियों एवं कार्यक्रम की योजना बना सकेगा।

34. सदस्य संघो को तकनीकी, प्रशासनिक, आर्थिक तथा अन्य जरूरी मदद प्रदान कर सकेगा और जरूरत पड़ने पर किसी के साथ सहायता संधि कर सकेगा।

35. सदस्य संघो को मूल्य निर्धारण, जन सम्पर्क तथा संश्रित मामलों पर परामर्श दे सकेगा।

36. कर्मचारियों के कल्याणार्थ न्यास और निधियाँ सृजित कर सकेगा।

37. सदस्य संघो तथा सदस्य संघो की संबद्धता प्राप्त सोसाइटियों की समय–समय पर देख–रेख की जिम्मेवारी ले सकेगा। अधिनियमों तथा नियमावली के अध्यधीन किसी सदस्य संघ या प्राथमिक सहकारी सोसायटियों को समाप्त करने की अनुशंसा करने की शक्ति भी फैडरेशन की होगी।

38. शोध एवं विकास के कार्यक्रम की जिम्मेवारी ले सकेगा या उसमें मदद कर सकेगा।

39. स्वतंत्र अस्तित्व वाले शोध एवं विकास संघ की स्थापना कर सकेगा ताकि अपनी निधि में सहायता प्राप्त कर सके और इसके लिए सदस्य संघों से निधियाँ उगाह सके।

40. बचत योजनाओं का आयोजन कर सकेगा और उनमें सहायता कर सकेगा तथा सहकारिता आन्दोलन की संकल्पना तथा उससे लाभ को प्रचारित कर सकेगा।

41. सदस्य तथा संबद्धता प्राप्त सोसाइटियों के सदस्यो द्वारा फलोत्पादन, फूलोत्पादन एवं सब्जीउत्पादन को प्रोत्साहित कर सकेगा।

42. प्रदेश में कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0) का गठन करवाना।

43. विपणन प्रागण, प्रसंस्करण इकाई भंडारण, शीत भंडारण, पैकिंग इकाईयों आराम कक्ष और फसल पश्चात प्रबंधन को सुगम बनानेवाली अन्य मूल्य संवर्द्धन गतिविधियों का स्वामित्व रखने तथा स्थापित करने में सदस्य संघों की सहायता कर सकेगा।

(ब.) गौण उद्देश्य–

1. संघ की आवश्यकताओं के अनुसार अपने मुख्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु चल एवं अचल सम्पत्ति को क्रय, लीज, दान–प्रतिदान, अदला–बदली के माध्यम से अर्जित करना।

Scanned with OKEN Scanner

2. उपरोक्त वर्णित कार्यों के सम्पादन हेतु आवश्यक उपकरण और साज–सज्जा जुटाना तथा सदस्यों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना।
3. सदस्यों के परिवार की उचित चिकित्सा, शिक्षा का प्रबन्ध करना।
4. सदस्यों में एकता उत्पन्न करना, स्वालम्बन और पारस्परिक सहयोग की भावना को प्रोत्साहन देना।
5. सदस्यों में ईमानदारी, ठीक समय पर विधिपूर्वक कार्य करने की आदत को बढावा देना।
6. संघ के व्यवसायिक कार्य संचालन हेतु सहकारी वित्तीय संस्था (सहकारी बैंक आदि) तथा अन्य स्रोतों से ऋण प्रदान करना और उसे संघ के व्यवसायों में लगाना।
7. संघ के सदस्यों के लिए घरेलू तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं को संयुक्त रुप से खरीदने के लिए अभिकर्ता के रुप में कार्य करना या सदस्यों के लिए आवश्यक वस्तुओं का सप्लाई भण्डार चलाना।
8. सामान्य रूप से संघ के व्यवसाय करने व बढाने और विकास करने के लिए किसी एक या अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसे अन्य कार्य करना जो इसमें सहायक एवं हितकारी हो।
9. सामान्य रूप से संघ के व्यवसाय हेतु सदस्यों से लाभांश धन प्राप्त करना।
10. समय–समय पर सेब उत्पादक एवं विपणन सहकारी समितियों के सम्मेलनों का आयोजन करना तथा ऐसे सम्मेलनों में पारित संकल्पों पर आवश्यक कार्यवाही करना।
11. ऐसे सभी कार्य करना जिससे संघ के उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक व अनुभाशित हो।

5– सदस्यता :– संघ के निम्नलिखित सदस्य हो सकते हैं–

(क) प्रारम्भिक सदस्य :– प्रारम्भिक सदस्य वे होंगे, जो संघ के निबन्धन में प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। प्रत्येंक को एक हजार रूपये प्रवेश शुल्क देना होगा जिसें किसी भी दशा में सदस्य वापस पाने का अधिकार नही होगा। निबन्धन में मत देने का अधिकार होंगा।

(ख). साधारण सदस्य :– उत्तराखण्ड राज्य के क्षेत्रान्तर्गत सेब उत्पादक एवं विपणन व प्रसंस्करण और अन्य प्रकार की सभी औद्यानिक एवं बागवानी (फल, फूल, सब्जी उत्पादन, विपणन व प्रसंस्करण) सहकारी समितियां जो संघ के कार्यक्षेत्र में होगी। के अतिरिक्त

2. प्रदेश की समस्त बहु0 प्रारम्भिक ऋण सहकारी समितियां लि0, (एमपैक्स)।
3. प्रदेश के समस्त कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0),
4. प्रदेश में निबन्धित समस्त क्रय–विक्रय सहकारी समितियां।

(छ) नाम मात्र सदस्य–

1– वह व्यक्ति संस्था, ट्रस्ट, संगठन, कम्पनी जिसके साथ संघ करोबार करने का विचार रखता हो नाममात्र सदस्य बनाया जा सकता है।

2– नाममात्र सदस्य को संघ के लाभ में कोई हिस्सा पाने का अधिकार न होगा और न ही संघ की प्रबन्ध समिति की सदस्यता के लिए पात्र होगा।

3– नामात्रिक सदस्यता तीन वर्षो के लिए होगी परन्तु पुनः 1000/– रू0 प्रवेश शुल्क प्राप्त होने पर प्रबन्ध निदेशक द्वारा सदस्यता की इस अवधि को एक बार से अतिरिक्त तीन वर्ष के लिए बढा सकता है।

4– नाममात्र सदस्य का दायित्व भुगतान की गई प्रवेश शुल्क तक सीमित होगा।

5–सदस्य बनने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने होगें कि वह वर्तमान उपविधियों और उसकी सदस्यता काल में उनमें नियमानुसार किये गये संशोधनों या परिवर्तनों से बाध्य रहेगा। ऐसे घोषणा पत्र दो व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित होगें जो व्यक्ति संघ के निबन्धन के आवेदन पर हस्ताक्षर करने के कारण सदस्य बन चुका है उसे भी संघ के निबन्धन होने के बाद एक माह के अन्दर ऐसे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने होगें।

सचिव / अध्यक्ष
उत्तराखण्ड सेब उत्पादक एवं विपणन सहकारी संघ लि. देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

6– कोई व्यक्ति सदस्यता से किन्ही अधिकारों का उपयोग न कर सकेगा जब तक कि वह उपरोक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न कर देगा । और जब तक कि उसने सदस्यता के सम्बन्ध में संघ को उस धनराशि का भुगतान न कर दिया जो अथवा उसने संघ में ऐसा हित न अर्जित कर लिया हो जो नियमों तथा उपविधियों में निर्दिष्ट हो।

6– (क) कोई सदस्य संघ की सदस्यता से हटाया जा सकता है यदि–

क–1–उसमें सदस्यता के लिये अधिनियम नियमों उपविधियों में अपेक्षित अर्हतायें न रही हो।

2–वह अधिनियम और उपविधियों के उपबन्धों का उल्लघंन करके संघ का सदस्य बनाया गया हो।

3–वह विकृत चित्त का हो जाये।

4– उसकी सदस्यता नियम 8 के खण्ड (ख) के उपबन्धों के अन्तर्गत हो।

(ख)–कोई सदस्य संघ की सदस्यता से निकाला जा सकता है–

1–यदि उसने संघ के किसी धन या अन्य सम्पत्ति का दुर्विनियोग किया हो या संघ की किसी सम्पत्ति को हानि पहुंचाई हो।

2–यदि उसने उपविधियों का उल्लंघन करके संघ के हितों को हानि पहुंचायी हो।

3–यदि उपविधियों के किन्ही उपबन्धें के अनुसरण में किसी सदस्य द्वारा की गयी घोषणा गलत पायी जाये या किसी सारवान सूचना को दबाने के कारण दोषपूर्ण हो और ऐसी गलत या दोषपूर्ण घोषणा के कारण सदस्यं को संघ से अनुचित लाभ हुआ हो अथवा उससे संघ को आर्थिक या वित्तीय हानि अथवा अन्य कठिनाई हुई हों।

7–किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे उपरोक्त उपविधि के अधीन हटाना या निकालना हो संचालक मंडल नोटिस प्राप्त होने के दिनांक के दस दिन के भीतर यह कारण बताने को कहेगा कि क्यों न उसे संघ की सदस्यता से यथास्थिति हुटा या निकाल दिया जाये। यदि नोटिस का जवाब निर्दिष्ट समय के भीतर दिया जाये अथवा प्राप्त उत्तर संचालक मंडल की राय में असंतोषजनक होती उपरोक्त उपविधियों में उल्लिखित नोटिस की अवधि की समाप्ति के दिनांक से 15 दिन के भीतर हुई बैठक में बहुमत से पारित संकल्प द्वारा यथा स्थिति हटा दिया जायेगा या निकाल दिया जायेगा।

उपरोक्त ऐसे प्रयोजन के लिये बुलाई गयी संचालक मंडल की बैठक की कार्यसूची की एक प्रतिलिपि उस सदस्य को भी भेजी जायेगी, जिसे हटाना या निकलना हो और सम्बद्व सदस्य को ऐसी बैठक के समक्ष यदि वह ऐसा करना चाहे स्वंय अपने मामले के बारे में कहने का अधिकार होगा।

8–उपरोक्त आधार पर निकाले हुये सदस्य को अधिनियम की धारा 98 की उपधारा 9(ग) के अन्तर्गत निबन्धक को अपील करने का अधिकार होगा।

9—–उपरोक्त उपविधि के अन्तर्गत या अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन हटाया या निकाला गया संघ का कोई सदस्य उस दिनांक से जब निकाले जाने का संकल्प अथवा आदेश प्रभावी हो दो वर्ष की अवधि तक संघ का फिर सदस्य बनने का पात्र न होगा और वह फिर से सदस्य बनने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये संघ में कोई पद धारण करने तथा संचालक मण्डल में निर्वाचन के लिये खडे होने का भी पात्र न होगा।

10– उपविधि संख्या 15 में निर्दिष्ट बैठक के संकल्प की एक प्रति सम्बन्धित सदस्य को रजिस्ट्री डाक से भेजी जायेगी।

11– किसी सदस्य की सदस्यता निम्नलिखित दशाओं में समाप्त हो जायेगी:–

(1) उसकी मृत्यु होने, या

अध्यक्ष
उत्तराखण्ड सेब उत्पादक एवं विपणन
सहकारी संघ लि.
देहरादून

(2) संघ से यथास्थिति हटाये जाने या निकाले जाने पर, या

(3) उसके द्वारा सदस्यता वापस लेने, या

(4) उसके अंशों के निवृत्त होने या स्थानान्तरण पर अथवा उसके द्वारा घृत सभी अंशों को जब्त कर लिये जाने पर।

12— **दायित्व**—सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लिये गये अंशों को सौ गुने तक ही सीमित होगा।

13— संघ की चल पूंजी निम्नलिखित से बनेगी।

क. अंशों की पूंजी।

ख. ऋण और अमानतें।

ग. अनुदान और दान।

घ. रक्षित तथा अन्य निधियां तथा लाभ।

14— **हिस्से**— संघ के अंशों की संख्या अनिश्चित होगी तथा प्रत्येक अंश का मूल्य 1000.00 रू0 होगा। अंशों के कय करने के आवेदन पत्र के साथ अंशों का कुल मूल्य चुकता करना होगा।

15—**प्रबन्ध**— सामान्य निकाय का गठन उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

16— संघ की सर्वोच्च सत्ता संघ के सामान्य निकाय की सामान्य बैठक में निहीत होगी जो निम्न प्रकार बुलायी जायेगी:—

(क) संघ के वार्षिक लेखा सम्प्रेक्षा के बाद यथाशीघ्र और यदि लेखा सम्प्रेक्षा वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करने के दो मास के अंदर पूरी हुई हों, फिर भी तीस नवम्बर तक या विशेष परिस्थितियों में निबन्धक द्वारा बढ़ाई गयी अवधि यदि कोई हो के अन्दर होगी , जिसे वार्षिक सामान्य बैठक कही जायेगी।

(ख) वार्षिक सामान्य बैठक से भिन्न अन्य सामान्य बैठक निम्न किन्हीं दशाओं में बुलायी जायेगी।

1. प्रबन्ध कमेटी की इच्छा पर।
2. निबन्धक द्वारा लिखित निर्देश पर।
3. सभापति की मांग पर।
4. सामान्य निकाय के 1/5 सदस्यों की लिखित मांग पर।

17— सामान्य बैठक की नोटिस जिसमें बैठक का स्थान दिनांक तथा समय हो सभी सदस्यों को उस दिनांक से जबकी ऐसी बैठक होने वाली हो कम से कम 15 दिन तथा अधिक से अधिक 30 दिन पूर्व दी जायेगी। सामान्य निकाय की बैठक संघ के कार्यालय में होगी या यदि अन्यथा आवश्यक हो तो यथा सम्भव संघ के कार्यालय के समीप किसी सार्वजनिक स्थान पर होगी जो प्रबन्ध कमेटी द्वारा निश्चित किया गया हो।

18 सभापति सभी सामान्य बैठकों का सभापतित्व करेगा। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति संघ का सभापतित्व करेगा। सभापति तथा उपसभापति दोनो ही की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य को बैठक का सभापति चुनेगें। परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी व्यक्ति उस बैठक का सभापतित्व नहीं करेगा, जिसमें उसका स्वयं का प्रकरण हों।

19— प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा। मतों के बराबर —बराबर हाने की दशा में सभापति का अपना एक सामान्य वोट के अतिरिक्त एक अन्य निर्णायक मत होगा।

20— जब तक कि अधिनियम तथा नियमों में अन्यथा व्यवस्था न हो तब तक सामान्य बैठक के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 अथवा 50 जो भी कम हो सामान्य बैठक की गणपूर्ति के लिए आवश्यक होगी। किसी स्थगित बैठक की दशा में गणपूर्ति , सामान्य निकाय के सदस्यों की सख्या का 1/5 अथवा 25 जो भी कम होगी।

सचिव
उत्तराखण्ड सेब उत्पादक एवं विपणन सहकारी संघ लि०
देहरादून

अध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner

21— निर्णय के लिए प्रस्तुत सभी प्रश्नों का जब तक कि अधिनियम , नियम तथा इन उपविधियों में विशिष्ट रूप से अन्यथा कोई व्यवस्था न हो बहुमत से निर्णय होगा।

22— **वार्षिक सामान्य बैठक में निम्नलिखित कार्य किये जायेगें:—**

1. गत सहकारी वर्ष में लखा विवरण, आय—व्यय का चिट्ठा एवं संतुलन पत्र तथा लेखां परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना।
2. अधिनियम तथा नियमों और निबन्धक द्वारा दी गयी किसी सामान्य आज्ञा, जो संघ पर लागू हो, के अनुसाार शुद्ध लाभ का निस्तारण।
3. आगामी सहकारी वर्ष के लिए संघ के अधिकतम दायित्व को अधिनियम तथा नियमों के अनुसार निश्चित करना।
4. निबन्धक के अनुमोदन के अधीन रक्षित निधि से संघ की हुई हानियों की प्रतिपूर्ति करना।
5. प्रबन्ध कमेटी द्वारा आगामी सहकारी वर्ष के लिए तैयार किए गये संघ के बजट तथा सामान्य निती एवं कार्यक्रम पर विचार करने के पश्चात् स्वीकृति प्रदान करना।
6. गत सहकारी वर्ष के लेखा परिक्षा, प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर प्रबन्ध कमेटी द्वारा तैयार किए गये सारांश पर विचार, सिवाय उस दशा में जबकि नियत अवधि के भीतर लेखा परीक्षा पूर्ण न हुई हो।
7. कमेटी द्वारा प्रस्तुत किसी अन्य कार्य तथा एक सप्ताह के पूर्व नोटिस के अर्न्तगत अन्य मामलों पर जो कम से कम दो सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गयें हों, निर्णय लेना।

23—प्रबन्ध कमेटी:—इस संघ का प्रबन्ध, प्रबन्ध कमेटी द्वारा किया जायेगा जिसका गठन निम्न प्रकार होगा:—

1. साधारण सदस्यों द्वारा निर्वाचित 11 सदस्य।
2. निबन्धक द्वारा नाम निर्दिष्ट एक व्यक्ति।
3. सभापति तथा उपसभापति प्रबन्ध कमेटी के लिए निर्वाचित सदस्यों में से ही निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जायेगें।

24—(क) अधिनियम तथा नियमों में की गयी अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम एवं नियमावली में वर्णित प्राविधानो के अनुसार होगा। कार्यकाल के समाप्त हाने पर कमेटी विद्मान नहीं रह जायेगी।

(ख) प्रबन्ध कमेटी के आमेलित या नाम निर्दिष्ट व्यक्ति तब तक पद धारण किए रहेगा जब तक कि आमेलित अथवा नाम निर्दिष्ट करने वाले प्राधिकारी की इच्छा हो।

(ग) प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के रूप में निर्वाचित या आमेलित किए जाने की पात्रता अधिनियम एवं नियमावली में वर्णित एवं तत्समय प्रचलित व्यवस्था के अधीन होगी।

25—यदि कमेटी के सदस्यों में कोई आकस्मिक रिक्ति होती है तो उसकी पूर्ती, ऐसी अव्यतीत अवधी के लिए कमेटी के शेष सदस्यों द्वारा उस पद के लिए अर्ह सामान्य निकाय से सम्बन्धित श्रेणी के सदस्यों में से जिसका स्थान रिक्त हुआ हो, की जा सकती है। परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस दशा में जब कि प्रबन्ध कमेटी उपरोक्त रिक्ति की पूर्ती करने में असमर्थ रहती है तो निबन्धक प्रबन्ध कमेटी को 30 दिन का नोटिस ऐसी पूर्ति करने के लिए देगा। यदि इस अवधि में भी प्रबन्ध कमेटी उक्त रिक्ति की पूर्ति नही करती है तो निबन्धक सामान्य निकाय के अर्ह सहस्यों में से नाम निर्देशन द्वारा पूर्ती कर सकता है।

सचिव
अध्यक्ष
उत्तराखण्ड रेशम उत्पादक एवं विपणन सहकारी संघ लि.
देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

26—संघ का कोई भी सदस्य समिति व अन्य सहकारी संस्थाओं में संघ की ओर से प्रतिनिधि व संघ तथा अन्य सहकारी संस्थाओं की प्रबन्ध कमेटी का सदस्य होने व बने रहने का पात्र न होगा, यदि :—

1. वह 18 वर्ष से कम आयु का हो।
2. वह दिवालिया घोषित हो।
3. वह विकृत चित्त, बहरा तथा गूंगा, अंधा या कोढी हो।
4. उसे निबन्धक की राय में, नैतिक पतन सम्बन्धी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और ऐसे दोष को अपील में रद्द न किया गया हो।
5. वह या निबन्धक की राय में, उसके परिवार का कोई सदस्य निबन्धक की अनुज्ञा के बिना संघ के कार्य क्षेत्र के भीतर उसी प्रकार का कारोबार शुरू कर दे या करता हो, जैसा संघ करता हो।
6. वह अधिनियम या नियमों अथवा संघ के उपविधियों के प्रतिकूल संघ के साथ या उसकी ओर से कोई व्यवहार या संविदा करे।
7. वह संघ का सचिव/कार्यकारी अधिकारी व उनके अधीनस्थ संघ की सेवा में वैतनिक/अवैतनिक या अन्य कोई पद धारण किए हो।
8. वह संघ की सामान्य निकाय का सदस्य न हो सिवाय उस दशा में जब अधिनियम या नियमावली तथा उपविधियों में इसके विपरीत स्पष्ट प्राविधान हो।
9. वह अधिनियम व नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया गया हो जब तक की दोष सिद्ध के दिनांक से तीन वर्ष की अवधी व्यतीत न हो गयी हो।
10. वह ऐसा व्यक्ति हो जिसके विरुद्ध किसी सहकारी समिति ने धारा 91 के अधीन आदेश प्राप्त कर लिया हो और उस आदेश की पूर्ती न हुई हो।
11. यदि वह अपने द्वारा लिए हुए किसी ऋण या ऋणी के सम्बन्ध में संघ का कम से कम छः मास से बकायेदार हो या वह संघ का वाद ऋणी हो ।
12. वह तीन अन्य सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटियों का पहले से ही सदस्य हो ।
13. वह राजकीय सेवा या किसी सहकारी समिति अथवा निगमित निकाय से कपट ,दुराचरण या अशुचिदा करने के लिए पदच्युत किया गया हो और पदच्युत का ऐसा आदेश अपील में रद्द न किया गया हो ।
14. वह किसी ऐसी सहकारी समिति के निबन्धन के प्रर्थना पत्र में सम्मिलित हो अथवा उसकी प्रबन्ध कमेटी का सदस्य हो जो बाद में निबन्धक दृारा धारा 72 की उपधारा (2) के खण्ड (d) के अधीन इस आधार पर समाप्त कर दी गयी हो कि संघ का निबन्धन कपटपूर्वक कराया गया है और निबन्धक का ऐसा आदेश अपील मे अतिक्रमित न किया गया हो ।
15. वह पर्याप्त कारण के बिना प्रबन्ध कमेटी की तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा हो।
16. वह अधिनियम या नियमावली या संघ की उपविधियों के किसी उपबन्ध के अधीन अन्यथा अनर्ह हो।

सचिव
उत्तराखण्ड रेशम उत्पादक एवं विपणन
सहकारी संघ लि.
देहरादून

अध्यक्ष

27— प्रबन्ध कमेटी की बैठक सामान्यतः हर महीने में एक बार या जितनी बार संघ के कार्य सम्पादन हेतु आवश्यक हो, होगी। प्रबन्ध कमेटी की कार्यवाहियां एक कार्यवाही पुस्तिका में अभिलेखित की जायेगी जो इस प्रयोजन हेतु सचिव द्वारा रखी जायेगी और कार्यवाही अंकित करते समय उपस्थित सदस्यों के नामों का उल्लेख किया जायेगा और उनके हस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगें। प्रबन्ध कमेटी की बेठक हेतु पांच सदस्यों की गणपूर्ती आवश्यक हागी।

Scanned with OKEN Scanner

28–संघ के काम में प्रबन्ध कमेटी का हर सदस्य साधारण कारोबारी आदमी की तरह बुद्धीमानी एवं मेहनत से अधिनियम, नियमों अथवा उपविधियों के प्राविधानों के अनुसार कार्य करेगा। उनके द्वारा इन बातों का उल्लंघन किये जाने पर यदि संघ को किसी तरह की हानि हो तो उसके लिए वह उत्तरदायी है।

29–संघ का प्रबन्ध अधिनियम, नियमों और उपविधियों के अनुसार संचालक मंडल में निहित होगा, जिसके मुख्यता निम्नलिखित अधिकार व कर्तब्य होगें–

1. निर्वाचन नियमों के अनुसार अपने सदस्यों में से सभापति या उप सभापति का चुनाव।
2. नियमों के अधीन कार्यकारिणी समिति और विशेष परिस्थितियों में दो या दो से अधिक संचालकों की उप समितियों का चुनाव करना।
3. अधिनियम और उसके अन्तर्गत बने विनियमों के अधीन संघ के कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उन्हें हटाना, उन्हें निलम्बित करना अन्य प्रकार से दण्डित करना, जमानत लेना तथा पारिश्रमिक निश्चत करना।
4. संघ के अधिकतम दायित्व के अन्तर्गत धन प्राप्त करना ऋण पत्र (डिवेंचर)जारी करना।
5. केन्द्रीय और राज्य सरकार जीवन बीमा निगम व्यवसायिक बैंक तथा अन्य नियमित निकायों से ऋण प्राप्त करना।
6. संघ की नगद धनराशि अन्य सम्पत्ति और महत्वपूर्ण लेखों की अभिरक्षा अनुरक्षण और उन्हें रखने का उचित प्रबन्ध करना।
7. साधारण सदस्यों की भर्ती करना त्याग पत्र स्वीकार करना, उन्हें निकालना या हटाना।
8. सदस्यों को अंश प्रदर्शित करना अंशों का निर्गमन एवं स्थानान्तरण।
9. सदस्यों को तथा सदस्य समितियों के सदस्यों को उनके द्वारा ऋण देना और ऋण देने के विनियम बनाना तथा ऋणों पर ब्याज की दर निश्चित करना।
10. संघ के निरीक्षण पत्रों पर विचार करना तथा उन पर आवश्यक कार्यवाही करना।
11. संघ के सम्प्रेक्षण प्रतिवेदनों का संक्षिप्त विवरण तैयार करना।
12. संघ की वार्षिक सामान्य बैठक करके वार्षिक रिपोर्ट और मांगे गये आय व्यय का लेखा , बजट तथा अन्य विवरणियों जो निबन्धक निर्दिष्ट करें, बैठक में प्रस्तुत करना।
13. संघ या संघ के कार्य में उपयोग हुयी भूमि एवं पौधों तथा अन्य सम्पत्ति का दौवीय आपदा आदि से हानि का बीमा कराना ।
14. संघ की ओर से संघ के व्यवसाय से सम्बन्धित अनुबन्ध करना तथा ऐसे अनुबन्धों पर प्रबन्ध निदेशक या अन्य अधिकारी को हस्ताक्षर करने का अधिकार देना।
15. संघ या संघ के अधिकारियों के या उन पर किये गये दावों की जो संघ के कार्य से सम्बन्धित हो किसी अधिकृत सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा वादी या प्रतिवादी के रूप में लड़ना। समझौता करना या पंच निर्णय के लिये देना या उन्हें छोड देना।
16. कर्मचारियों के लिये नियमों के अधीन भत्ता संम्बन्धी विनियम बनाना।
17. कर्मचारियों के लिये अंशदायी भविष्य निधि की स्थापना करना तथा उसमें अंशदान की दर निर्धारित करना।
18. संघ के धन को विनियोंजित करना।
19. निबन्धक की पूर्वानुमति से संघ के व्यवसाय वृद्धि हेतु कोई अन्य कार्य करना ।

सचिव / अध्यक्ष
उत्तराखण्ड सेब उत्पादक एवं विपणन
सहकारी संघ लि.
देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

20. संघ के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ऐसे अन्य कार्य करना जो अधिनियम या नियमों के अनुसार आरोपित किये गये हो अथवा सामान्य निकाय द्वारा सौंपे गये हो।

21. प्रस्ताव द्वारा अपने किसी कर्तव्य तथा अधिकार को कार्यकारिणी समित (यदि कोई हो) अन्य समिति, उप समिति या किसी अधिकारी को देना।

30–सभापति तथा उपसभापति

1. संध का एक सभापति तथा एक उपसभापति होगा जिसका चुनाव प्रबन्ध कमेटी के चुने गये सदस्यों द्वारा अपने में से नियमानुसार किया जायेगा और उनका कार्यकाल प्रबन्ध कमेटी के साथ ही आरम्भ और समाप्त होगा।

2. सभापति संध के मामलों तथा कार्यों के नियंत्रण पर्यवेक्षण तथा मार्ग दर्शन के लिए उत्तरदायी होगा और उसके ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो अधिनियम तथा नियमों व उपविधियों के प्राविधानों तथा प्रबन्ध कमेटी के संकल्पों द्वारा प्रदत्त या आरोपित किये जायें उपस्थित रहने पर, वह नियमों में अन्यथा कीसी व्यवस्था के अधीन रहते हुए सामान्य निकाय तथा प्रबन्ध कमेटी की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

3. सभापति को यह अधिकार होगा कि निम्नलिखित परिस्थितियों में वह किसी भी बैठक को स्थगित कर दें:–

1 गणपुर्ति का अभाव हो।

2 सदस्यों के बहुमत द्वारा मॉग अथवा मत देने पर।

4. यदि कार्य–सूची के सभी कार्य उसी दिनांक को जब बैठक हो पूरे न किये जा सकें तो बैठक जैसा उपस्थित सदस्य निश्चित करें, सभापति स्थगित कर सकता हैं।

5. सभापति अपने अधिकारों में से जिनको उचित समझे, उपसभापति को लिखित रूप से प्रतिनिहित कर सकता हैं।

6. (अ) सभापति सचिव से कोई रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा ऐसा स्थगन आदेश जारी कर सकता हैं, जिसमें किसी सदस्य पर उनमें निर्दिष्ट किसी कार्य को करने का अवरोध लगाया जा सकता है या उससे किसी ऐसे कार्य करने की अपेक्षा की जा सकती है, जिसके करने अथवा न करने से संघ के हितों को हानि होने की आशंका हो। ऐसा आदेश सम्बन्धित सदस्य को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् जारी किया जायेगा, और तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि उसे वापस न ले लिया जाय या सदस्य द्वारा अपील करने पर प्रबन्ध कमेटी उसे निरस्त न कर दें।

(ब) यदि सम्बन्धित सदस्य उक्त आदेश को लेने से बचता रहे या उसका अनुपालन न करे तो सभापति उस आदेश की तामील नियमावली में दिये गये प्राविधानो के अनुसार करा सकता है तथा आदेश के अनुपालन न करने पर उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम के अर्न्तगत या अन्य कानूनी कार्यवाही कर सकता हैं।

7.(अ) उपभापति, नियमों में अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए सभापति की अनुपस्थिति में सामान्य निकाय तथा प्रबन्धकमेटी की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(ब) ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे उपविधियों के अधीन रहते हुए सभापति द्वारा लिखित रुप से प्रतिनिहित किए गये हों ।

31–प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी–अधिनियम की धारा 39 के अनुसार संघ में एक प्रबन्ध निदेशक होगा तथा उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। प्रबन्ध निदेशक राजकीय सहकारी सेवा का कर्मचारी होगा । प्रथम श्रेणी के अधिकारी के पद के नीचे का न होगा और जिसकी सेवायें संघ में प्रतिनियुक्ति पर समझी जायेगी। उनका वेतन तथा भत्ते आदि राज्य सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति से सम्बन्धित जारी की गयी शर्तों की अधीन संघ की निधियों से ही भुगतान किये जायेगे। प्रबन्ध निदेशक संघ की प्रबन्ध समिति का पदेन सदस्य होगा।

सचिव
उत्तराखण्ड सेब उत्पादक एवं विपणन सहकारी संघ लि.
देहरादून

अध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner

अग्रेत्तर सेब व्यवसाय का उत्पादन विपणन एवं तकनीकी प्रसंस्करण का अनुभवी व्यक्ति भी राज्य सरकार की संस्तुति पर प्रबन्ध निदेशक बनाया जा सकता है।

32–सचिव-

विलोपित

33– प्रबन्ध निदेशक संघ का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। नियमों तथा संघ की उपविधियों में उल्लिखित नियंत्रण में रहते हुये अधिनियम की धारा 39(4) में दिये गये कर्तब्यों व अधिकारों का पालन करेगा।

1. संघ के प्रशासन पर सामान्य नियन्त्रण रखना।
2. प्रबन्ध समिति और सामान्य निकाय की बैठक बुलाना।
3. संघ की ओर से समस्त धन और प्रतिभूति प्राप्त करना और संघ की रोकड बाकी ओर अन्य सम्पत्तियों के समुचित अनुरक्षण और अभिरक्षा का प्रबन्ध करना।
4. बचत पत्रों सरकारी और अन्य प्रतिभूतियों को पृष्ठांकन हस्ताक्षर और संक्रमित करना और संघ की ओर से चैक और अन्य पराकम्य संलेख का पृष्ठांकन हस्ताक्षर परकाम्य करना।
5. संघ की दिनानुदिन कार्य और मामलों के सामान्य संचालन, पर्यवेक्षण और प्रबन्ध के लिये उत्तरदाग़ी होना।
6. समस्त जमा रसीदों पर हस्ताक्षर करना और बैंक में संघ का लेन चलाना।
7. संघ के पक्ष में समस्त बन्ध पत्रों और अनुबन्धों पर हसताक्षर करना।
8. संघ के बजट प्राविधनों के अधीन रहते हुये तीन मास की अवधि के लिये तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों का सृजन करना और नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में बोर्ड के माध्यम से उन पर भर्ती करना जैसा की धारा 122 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा बनाये गये विनियमों में व्यवस्थित है।
9. संघ के कर्मचारियों के अधिकार कर्तब्य और उत्तरदायित्व अवधारित करना।
10. संघ द्वारा या उसके विरूद्व या अन्य समिति के मामलों के सम्बन्ध में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित संचालित प्रतिवादित प्रशामित या परित्यत्क करना और संघ द्वारा या उसके विरूद्व किसी दावा या मांग प्रशमन करना और भुगतान याा पुष्टि के लिये समय देना।
11. ऐसे विनियमों के यदि कोई हो जिन्हें प्रबन्ध कमेटी बनाये अधीन रहते हुये बातचीत करना और निर्माण कार्य के दौरान 5 लाख रू0 तक की प्रत्येक और उसके पष्चात 2.50 लाख रू0 तक की प्रत्येक संविदा को स्वीकृत करना और संघ के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त किसी विषय के सम्बन्ध में संघ के नाम से और उसकी ओर से ऐसे समस्त कार्य कृत्य और बात करना।

34– लाभ वितरण–

1. किसी सहकारी वर्ष में किसी सहकारी संघ का शुद्व लाभ उस वर्ष के उसके शुद्व लाभ का निस्तारण सकल लाभ से निम्नलिखित को घटाने के पश्चात संगणित किया जायेगा।

क. ब्याज जो अतिशोध्य है।
ख. प्रबन्धकीय व्यय।
ग. कर्मचारियों के निधि या उपदान निधि के लिये अंशदान।
घ. ऋण और जमा पर ब्याज।

Scanned with OKEN Scanner

ङ . लेखा परीक्षा फीस।

च. चालू व्यय जिसमें मरम्मत किराया कर और सम्पत्ति का ह्रास सम्मलित है।

छ. असमायोजित अशोध्य ऋणों और हानियों को बटटे खाते में डालने के लिये सृजित निधि के लिये अंशदान।

प्रतिबन्ध यह है कि सहकारी संघ पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्रोदभू ब्याज जिसे उस वर्ष में वसूल किया गया है वर्ष के शुद्व लाभ से जोड सकती है।

(1–क) सहकारी संघ उपधारा (1) के अधीन_यथा संगणित किसी वर्ष के शुद्व लाभ को जिसमें पूर्व वर्ष का अग्रनीत शुद्व लाभ सम्मिलित है निम्नलिखित रीति से वितरित करेगी।

क. ऐसी धनराशि जो 25 प्रतिशत से कम न हो एक निधि में सक्रंमित की जायेगी जिसे रक्षित निधि कहा जायेगा।

ख. विहित रीति से स्थापित की जाने वाली सहकारी शिक्षा निधि में कम से कम इतनी धनराशि जो विहित की जाये जमा की जायेगी और वह ऐसी सहकारी सघों पर भी लागू होगा जिनमें वर्ष में हानि उपगत हो।

ग. ऐसी धनराशि जो 25 प्रतिशत से अधिक न हो जैसे विहित की जाये एक निधि में एकत्रित की जायेगी जिसे Equity Redcmption Fund कहते हैं व इस सहकारी संघ द्वारा उपयोग में जैसा विहित की जाये लाई जायेगी जिसमें सरकार की अंशपूंजी लगी है।

प्रतिबन्ध यह है कि वह कुल राशि जो सहकारी संघ ऐसी निधि में लगाये उस राशि से अधिक नही होगी जितनी अंशपूंजी सरकार द्वारा उस संघ में लगाई गयी हो।

35–कोषाध्यक्षः–यदि संघ द्वारा कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया हो तो वह प्रबन्ध निदेशक/सचिव के नियन्त्रण में रहते हुए संघ की ओर से समस्त धनराशियों को प्राप्त करेगा और अपने प्रभार में रखेगा तथा संघ के बैंक खाते में जमा करेगा। प्रबन्ध निदेशक व प्रबन्ध कमेटी के आदेशानुसार उसका लेखांकन वह कैशबुक में करेगा व उस पर हस्ताक्षर करेगा और प्रबन्ध निदेशक से समय-समय पर अवलोकित करायेगा। जब कभी प्रबन्ध निदेशक, सभापति, निबन्धक या निबन्धक के सामान्य, विशेष आदेश द्वारा अधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी जो उसे शेष रोकड़, जांच हेतु प्रस्तुत करने को कहेगा तो वह उसे प्रस्तुत करेगा। वह अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में प्रबन्ध निदेशक एवं प्रबन्ध कमेटी द्वारा समय–समय पर नियत की गयी सीमा के अन्दर ही धनराशि रख सकता है।

36–रजिस्टर और हिसाब–किताबः–संचालक मंडल संघ के कारोबार का सच्च हिसाब किताब उस ढंग से रखने का प्रबन्ध करेगा कि जिसे वह संघ के वास्तविक लेखा वितरण प्रदर्षित करने के लिये समय समय पर उचित समझें।

लेखा सम्परीक्षा

37– लेखों के आन्तरिक लेखा परीक्षा, संघ किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उत्तराखण्ड सह0 समिति नियमावली के नियम–235 के अधीन करा सकती है, जो प्रबन्ध कमेटी द्वारा इस प्रयोजन के लिए यथाविधि प्राधीकृत किया गया हो। यह सम्परीक्षा उस सम्परीक्षा के अतिरिक्त होगी जिसकी व्यवस्था सहकारी अधिनियम की धारा–64 के अधीन की गयी हो ।

(क). यदि संघ आवश्यक समझे तो अपनी आन्तरिक परीक्षा लेखा रजिस्टर्ड एकाउन्टेंट से करा सकती है।

निर्वाचन

38– संघ की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधीनियम–2003 एवं नियमावली–2004 में तत्समय संशोधित प्राविधानों के अनुसार होगा।

39– निर्वाचन के प्रयोजनार्थ नियमों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी अधिनियम, नियमावली एवं संघ की उपविधियों के अनुसार चुनाव सम्पन्न करायेगा। वह उन सभी अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगा, जो निर्वाचन कराने के लिए आवश्यक हैं।

अध्यक्ष
उत्तराखण्ड सेब उत्पादक एवं विपणन सहकारी संघ लि.
देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

40— प्रबन्ध कमेटी तथा संघ का प्रत्येक अधिकारी निर्वाचन कराने में निर्वाचन अधिकारी को पूरी सहायता देने के लिए बाध्य होगा और ऐसे सभी अभिलेख उपलब्ध करायेगा जिनकी निर्वाचन अधिकारी इस प्रयोजन के लिए अपेक्षा करेगा।

41— प्रबन्ध निदेशक/सचिव नियम 433 में उल्लिखित संघ में सदस्य बनाये जाने की अवधि के पश्चात तुरन्त निर्वाचन अधिकारी को एक मतदाता सूचि तीन प्रतियों में प्रस्तुत करेगा जिस पर उसकी मोहर व हस्ताक्षर होंगे।

42— कोई उम्मीदवार प्रबन्ध कमेटी के एक से अधिक पद के लिए साथ—साथ निर्वाचन लड़ने के लिए अर्ह न होगा। यदि एक से अधिक पद के लिए नाम निर्देशन पत्र वैध पायें जाये तो उसे केवल एक पद के लिए विकल्प देना होगा तकि अन्य के लिए अपना नाम निर्देशन पत्र वापस लेना होगा। ऐसी वापसी के लिए निश्चित दिनांक से पूर्व यदि वह अपने विकल्प का प्रयोग करने में चूक करे तो उसके समस्त नाम निर्देशन पत्र अवैध हो जायेंगें।

43— निर्वाचन का संचालन नियम 436 (2) के अनुसार निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जायेगा तत्पश्चात निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन के संचालन के लिए पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

44— निर्वाचन के सम्बन्ध में उत्तरांचल सहकारी समिति नियमावली 2004 के नियमों के प्राविधानों के अनुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

सभापति तथा उपसभापति का निर्वाचन

45— क—प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन की घोषणा के पश्चात यथा सम्भव प्रबन्ध निदेशक/सचिव, निर्वाचन अधिकारी के परामर्श से संघ के सभापति तथा उपसभापति और अन्य पदाधिकारियों के निर्वाचन के लिए प्रबन्ध कमेटी की प्रथम बैठक बुलायेगा। इस बैठक की अध्यक्षता निर्वाचन अधिकारी करेगा तथा नियमानुसार उपरोक्त निर्वाचन सम्पन्न करायेगा।

ख— उपरोक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली—2004 के नियमों में दिए गए प्राविधानों का पालन किया जायेगा।

कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि

46— संघ में यदि 5 या अधिक कर्मचारी पूर्णकालीन मौलिक नियुक्ति में हो तो धारा—63 की उपधारा 1 में अभिदिष्ट अंशदायी भविष्य निधि की स्थापना संघ को करनी होगी।

47—संघ की अंशदायी भविष्य निधि के नाम में जमा किए जाने वाले अंशदान निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे।

1. किसी कर्मचारी के मासिक अंशदान की दर उसके मासिक वेतन के न तो 5 प्रतिशत से कम और न 15 प्रतिशत से अधिक होगी ।
2. प्रत्येक सहकारी वर्ष के अन्त में संघ की अंशदान की दर वही होगी जो संघ की प्रबन्ध कमेटी द्वारा अवधारित की जाए , परन्तु निबन्धक की अनुमति के बिना वह कर्मचारी के वेतन के दस प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।

48— अंशदान भविष्य निधि के विनियोजन पर प्रोद्भूत ब्याज अलग—अलग सम्बन्धित कर्मचारी के लेखे में पिछले सहकारी वर्ष की समाप्ति पर प्रत्येक कर्मचारी के नाम शेष धनराशी के अनुपात में या निबन्धक द्वारा निर्धारित रीति सें जमा किया जायेगा।

49— अंशदायी भविष्य निधि, अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार विनयोजित की जायेगी।

अध्यक्ष
उत्तराखण्ड सेब उत्पादक एवं विपणन
सहकारी संघ लि.
देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

क्र	नाम सदस्य मय पिता/पति का नाम	पूरा पता	व्यवसाय	उम्र	हस्ताक्षर	पद
1	श्री जगत सिंह 7060218883	भंकोली, छामरोटा नौगॉव जिला– उत्तरकाशी।	कृषि	57		अध्यक्ष
2	श्री अमृत सिंह नागर 9816039545	ग्राम व पोस्ट– आराकोट तह0 – मोरी जिला– उत्तरकाशी	कृषि	63		उपाध्यक्ष
3	श्री प्रताप सिंह रावत 9719472091	732, पंचवटी बल्लूपुर रोड देहरादून।	कृषि	56		सदस्य
4	श्री रघुवर दत्त 9897044949	ग्राम मुनिगॉव पोस्ट– पदमपुरी तह0– धारी जिला नैनीताल।	कृषि	57		सदस्य
5	श्री देवेन्द्र चन्द्र भट्ट 9012222085	ग्राम– कुमलगॉव मर्सोली भट्ट शिलिंग पिथौरागढ़।	कृषि	46		सदस्य
6	श्री जयेन्द्र सिंह 9410946201	धराली, भटवाडी जिला– उत्तरकाशी।	कृषि	52		सदस्य
7	श्री गोविन्द सिंह	पोस्ट– कपड़खान, जाखसौडा जिला– अल्मोडा।	कृषि	44		सदस्य
8	श्री राजेन्द्र सिंह	ग्राम व पोस्ट– भंकोली पुरोला जिला– उत्तरकाशी।	कृषि	38		सदस्य
9	श्री अमर सिंह 9927344949	थलीसैण कुसरानी, उफरैखाल जिला– पौडी गढ़वाल।	कृषि	44		सदस्य
10	श्री राकेश भण्डारी 8958306800, 7895950078	बढंगाव, जोशीमठ जिला– चमोली।	कृषि	54		सदस्य
11	श्री देवेन्द्र पंवार 9412005004	118 आशीना विहार सी–5 टर्नर रोड क्लेमनटाउन, देहरादून।	कृषि	51		सदस्य
12						
13						
14						
15						

सचिव
उत्तराखण्ड सेब उत्पादक एवं विपणन
सहकारी संघ लि.
देहरादून

अध्यक्ष